


III/निग०/सीपी/2017/3539

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर शृंखला

न्यायालय रीवा, जिला- रीवा (म0प्र0)

98



1. रियाजुद्दीन तनय छकौड़ी मुसलमान,
 2. नूर मोहम्मद तनय अजमुल्ला वक्श
 3. अलीमुद्दीन तनय रियाजुद्दीन,
 4. निजामुद्दीन तनय अब्दुल्ला वक्श,
 5. असगर अली तनय सिराजुद्दीन
 6. बसारत अली तनय छकौड़ी मुसलमान,
 7. हकीमुद्दीन तनय छकौड़ी मुसलमान,
 8. सिराजुद्दीन तनय छकौड़ी मुसलमान,
- सभी निवासी ग्राम- बघोर, तह0- सिहावल, जिला- सीधी (म.प्र.)

निगरानीकर्तागण

बनाम

1. म0प्र0 शासन
 2. अंजीर तनय इलाही मुसलमान निवासी ग्राम- मेंढौली, तह0- सिहावल, जिला- सीधी (म.प्र.)
- गैरनिगरानीकर्तागण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश श्रीमान् नायब
तहसीलदार महोदय तहसील- सिहावल के
राजस्व प्रकरण क्रमांक- 226/अ-19(2)/
1980-81 में पारित आदेश दि0- 31.05.1981

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू- राजस्व
संहिता 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण के सूक्ष्म तथ्य

(अ)

यह कि निगरानीधीन भूमि खसरा क्रमांक- 845 जुज रकवा 2.023

आवेदक गण की ओर से
श्री रमाशोषेन्द्र सिंह एड.
द्वारा वेग प्रिया ग्या/
27-9-17

27-9-17

राजस्व मण्डल ग्वालियर-2
(सिक्रेट कोठी) रीवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/विग./17/3539 जिला- सीधी

रियाजुद्दीन मुसलमान विरुद्ध शासन सीधी

(1)

(2)

(3)

18-12-18

1. आवेदक की ओर से श्री रमा गोविन्द सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~तहसीलदार~~ / नायब तहसीलदार / ~~सजस्व निरीक्षक~~, तहसील सिहावल के प्रकरण क्रमांक 226/17.19.12/80-81 में पारित आदेश दिनांक 31-5-81 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-1-19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।


सदस्य